

मध्यप्रदेश शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 1693 /1294/(9-4)2019/29-2

भोपाल, दिनांक: 6-11-2020

प्रति,

✓

नियंत्रक,  
नाप-तौल, मध्यप्रदेश  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020.


----00----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिससे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा Legal Metrology Act, 2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए नवीन निर्देश प्रसारित किए हैं।

भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय व्यापार सुधार कार्ययोजना 2020 की अनुशंसा अनुसार औचक निरीक्षण या शिकायतों के आधार पर किये जाने वाले निरीक्षण संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति के पश्चात ही किये जाना है।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी।

9/11/20



(फैज अहमद किदवई)  
प्रमुख सचिव,  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग


पृ.क्र. 1694 /1294/(9-4)2019/29-2

भोपाल, दिनांक : 6-11-2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

3. प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमि भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

  
प्रमुख सचिव,  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग